DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 September, 2024

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)

संदर्भ: *मणिपुर ने हाल ही में जातीय हिंसा के कारण AFSPA की समीक्षा की है।*

➢ **अवलोकन:**

- मणिपुर में AFSPA का छह महीने का आवधिक विस्तार सितंबर में समाप्त हो रहा है।
- कुकी-ज़ो और मेइतेई समूहों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 237 लोग मारे गए हैं।
- घाटी वाले जिलों में मैतेई लोग रहते हैं, जबकि कुकी-ज़ो और नागा लोग पहाड़ियों में रहते हैं।

➢ **अफस्पा क्या है?**

- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) भारत में लागू एक कानून है जो सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को "अशांत" घोषित क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
- यह संघर्ष क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बल प्रयोग, बिना वारंट के गिरफ्तारी तथा बिना वारंट के परिसर की तलाशी जैसी कार्रवाइयों की अनुमति देता है।

➢ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

- **औपनिवेशिक जड़ें** : AFSPA की उत्पत्ति 1942 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए जारी किये गए अध्यादेश से हुई।
- **स्वतंत्रता के बाद का संदर्भ** : यह अधिनियम 1958 में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा, विशेष रूप से उग्रवाद के कारण, से निपटने के लिए पेश किया गया था।
- **विस्तार** : 1990 में जम्मू और कश्मीर के लिए भी इसी प्रकार के कानून बनाए गए, जो वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाते हैं।

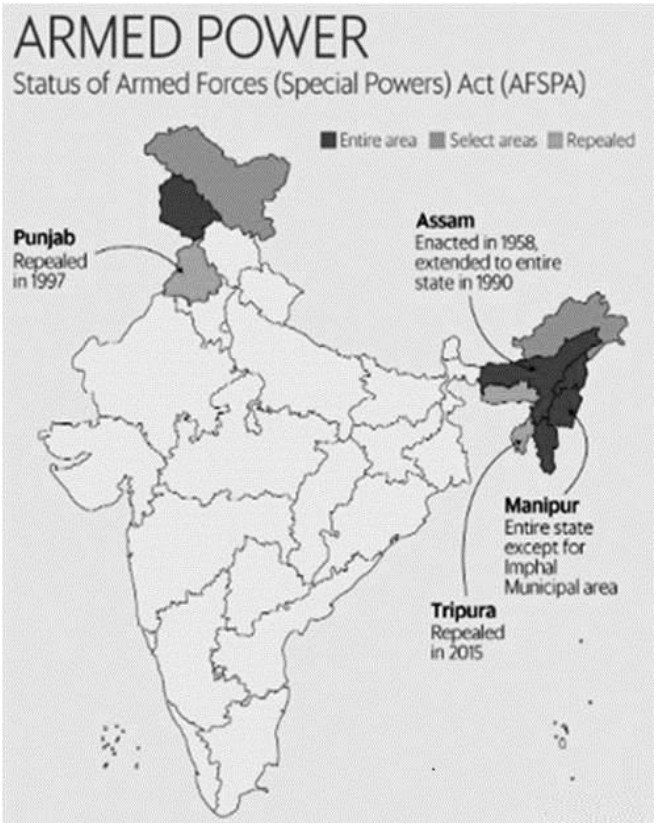

➢ **अशांत क्षेत्र**

- अफस्पा की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा "अशांत क्षेत्र" नामित किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि नागरिक शक्ति के लिए सैन्य सहायता की आवश्यकता है।
- **अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के** तहत एक बार **'अशांत'** घोषित होने के बाद , राज्य के सुझाव के साथ, क्षेत्र तीन महीने तक अशांत क्षेत्र बना रहता है।
- यह घोषणा जातीय या सांप्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न हो सकता है और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

➢ **AFSPA पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश**

- **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले** में 1998 में दिए गए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए **:**
- **स्वत: घोषणा** : केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित कर सकती है, लेकिन उसे पहले राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए।
- **प्राधिकरण की सीमाएं** : AFSPA अशांत क्षेत्रों को अप्रतिबंधित रूप से नामित करने की अनुमति नहीं देता है; इसके लिए वैध कारण होना चाहिए।
- **समय-सीमा और समीक्षा** : घोषणाओं की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए और हर छह महीने में उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- **बल का प्रयोग** : प्राधिकृत अधिकारियों को न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा सेना के "क्या करें और क्या न करें" दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **संवैधानिक वैधता** : न्यायालय ने पुष्टि की है कि AFSPA संवैधानिक है तथा इसकी धारा 4 और 5 के तहत शक्तियां न तो मनमानी हैं और न ही अनुचित।

भारत का चुनाव आयोग

संदर्भ*: हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की।*

➢ **अवलोकन:**

- अपने दौरे के दौरान ईसीआई की टीम सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेगी और चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।
- ईसीआई टीम का दौरा तैयारियों का आकलन करने पर केंद्रित होगा।

भारत निर्वाचन आयोग एक **स्वायत्त** संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में केन्द्र और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

➢ **स्थापना**

- 25 जनवरी 1950 को स्थापित
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

➢ **जिम्मेदारियों**

- निम्नलिखित के लिए चुनाव का संचालन करता है:
  - लोकसभा
  - राज्य सभा
  - राज्य विधान सभाएं
  - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 September, 2024

➢ **सीमाएँ**

- भारत निर्वाचन आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों की देखरेख नहीं करता है।
- भारतीय संविधान द्वारा इन चुनावों के लिए एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है।

➢ **ईसीआई की संरचना**

- प्रारंभ में एकल चुनाव आयुक्त वाला ईसीआई, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद बहु-सदस्यीय निकाय बन गया।
- **वर्तमान संरचना**
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी)
  - दो अन्य चुनाव आयुक्त (ईसी)

(राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग की सहायता करता है)

➢ **ईसीआई को नियंत्रित करने वाले प्रावधान**

भारतीय संविधान के **भाग XV** के अंतर्गत कार्य करता है , जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 शामिल हैं:

- **अनुच्छेद 324** : चुनाव अधीक्षण और नियंत्रण पर भारत निर्वाचन आयोग का अधिकार स्थापित करता है।
- **अनुच्छेद 325** : यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
- **अनुच्छेद 326** : यह अधिदेश देता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- **अनुच्छेद 327** : संसद को विधानमंडलों के चुनावों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 328** : राज्य विधानसभाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में चुनावों पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 329** : चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

➢ **नियुक्ति एवं कार्यकाल**

- भारत के राष्ट्रपति सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करते हैं।
- उनका कार्यकाल निश्चित रूप से छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।
- वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हैं।

➢ **हटाना**

- चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे सकता हैं या उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

➢ **सीमाएँ**

- संविधान में ईसीआई सदस्यों के लिए योग्यताएं (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्दिष्ट नहीं की गई हैं।
- ईसीआई सदस्यों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं है।
- सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को भविष्य में सरकारी नियुक्तियों से रोका नहीं जाएगा।

डीपफेक

***संदर्भ**: हाल ही में भारत में एक सर्वेक्षण में डीपफेक की सामग्री में भारी वृद्धि पाई गई है और यह एक वैश्विक घटना बन गई है।*

➢ **अवलोकन**:

- पिछले हफ्ते, कैलिफ़ोर्निया ने चुनावी डीपफेक से निपटने के लिए अमेरिका में सबसे कठिन माने जाने वाले कानून के तीन ऐतिहासिक भाग पर हस्ताक्षर किए।
- McAfee के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 75% से अधिक भारतीयों ने पिछले 12 महीनों में कुछ डीपफेक सामग्री देखी है और कम से कम 38% को डीपफेक घोटाले द्वारा लक्षित किया गया है।
- यह मुद्दा इतना व्यापक हो गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक जोखिमों का हवाला देते हुए भारत सरकार से एआई और डीपफेक प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने का आग्रह किया।

- **डीपफेक** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीकों का उपयोग करके निर्मित सिंथेटिक मीडिया है जो दृश्य और श्रव्य सामग्री में हेरफेर या निर्माण करता है, जिसका उद्देश्य अक्सर दर्शकों को धोखा देना या गुमराह करना होता है।

➢ **डीपफेक कैसे बनाए जाते हैं?**

- डीपफेक डीप सिंथेसिस का एक उपसमूह है, जो आभासी दृश्यों के लिए पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो उत्पन्न करने के लिए डीप लर्निंग और संवर्धित वास्तविकता जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
- डीपफेक मुख्य रूप से **जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) का उपयोग करके बनाए जाते हैं** , जिसमें दो प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क होते हैं:
  - **जेनरेटर** : वास्तविक दिखने का प्रयास करते हुए नकली चित्र या वीडियो बनाता है।
  - **विभेदक** : वास्तविक और नकली सामग्री के बीच अंतर करता है।
- जनरेटर भेदभावकर्ता से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अपने आउटपुट को बेहतर बनाता है, जिससे विश्वसनीय डीपफेक बनाने की इसकी क्षमता में सुधार होता है। इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है, जिसे अक्सर सहमति के बिना इंटरनेट या सोशल मीडिया से प्राप्त किया जाता है।

➢ **डीपफेक प्रौद्योगिकी में डीप लर्निंग के अनुप्रयोग**

दुरुपयोग की संभावना के बावजूद, डीपफेक प्रौद्योगिकी के लाभकारी अनुप्रयोग हैं:

- **संवर्धित वास्तविकता (एआर)** : गेमिंग और आभासी वातावरण में उपयोगकर्ता की सहभागिता और तल्लीनता को बढ़ाना।
- **चिकित्सा प्रशिक्षण** : बेहतर प्रशिक्षण दक्षता के लिए यथार्थवादी चिकित्सा चित्र और परिदृश्य उत्पन्न करना।
- **खोई हुई आवाजों की पुनर्स्थापना** : ऐतिहासिक हस्तियों को पुनर्जीवित करना या फिल्म, संगीत और गेमिंग में कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ाना।
- **सिंथेटिक अवतार** : विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाइन अपनी बात कहने में मदद करना।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

➢ **डीपफेक के संबंध में चिंताएं**

- **विश्वास की कमी:** संस्थाओं, मीडिया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास का ह्रास।
- **गलत सूचना:** दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के प्रसार को सुविधाजनक बनाना।
- **जनमत का हेरफेर:** चुनाव और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करना।
- **ब्लैकमेल और जबरन वसूली:** दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाना।

यह प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन कर सकती है, जिसका अक्सर महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

➢ **पता लगाने के तरीके**

डीपफेक की पहचान करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार करना चाहिए:

- **दृश्य और श्रव्य असंगतियों** पर ध्यान देना चाहिए।
- मूल स्रोत खोजने के लिए **रिवर्स इमेज सर्च का** उपयोग करना चाहिए।
- प्रामाणिकता का विश्लेषण करने के लिए **एआई-आधारित उपकरणों का** उपयोग करना चाहिए
- स्रोत सत्यापन के लिए **डिजिटल वॉटरमार्किंग** या **ब्लॉकचेन को** लागू करना चाहिए
- डीपफेक प्रौद्योगिकी के प्रभावों के बारे में स्वयं को और दूसरों को शिक्षित करना चाहिए

डीपफेक विनियमन के लिए वैश्विक दृष्टिकोण

➢ **भारत**

- **कोई विशिष्ट कानून नहीं** : भारत में डीपफेक के लिए समर्पित विनियमनों का अभाव है, हालांकि मौजूदा कानून कुछ संबंधित मुद्दों (जैसे, मानहानि) को शामिल कर सकते हैं।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम** : व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- **वैश्विक ढांचे के लिए आह्वान** : नैतिक एआई उपकरणों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की वकालत की गई है।

➢ **वैश्विक पहल**

- **एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023** : अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों ने डीपफेक सहित एआई जोखिमों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता की मांग की है।
- **ब्लेचली पार्क घोषणा** : एआई प्रौद्योगिकियों के जानबूझकर दुरुपयोग को शामिल किया गया है।

➢ **यूरोपीय संघ**

- **दुष्प्रचार पर आचार संहिता** : तकनीकी कंपनियों को डीपफेक से निपटने की आवश्यकता है तथा अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है।

➢ **संयुक्त राज्य अमेरिका**

- **डीपफेक टास्क फोर्स एक्ट** : डीपफेक प्रौद्योगिकी का मुकाबला करने में होमलैंड सुरक्षा विभाग को समर्थन देने के लिए एक द्विदलीय पहल है।

➢ **चीन**

- **व्यापक विनियमन** : गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए जनवरी 2023 में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें गहन संश्लेषण सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने की आवश्यकता होगी।

➢ **टेक कंपनी की प्रतिक्रियाएँ**

मेटा और गूगल सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां डीपफेक सामग्री से निपटने के लिए उपाय विकसित कर रही हैं:

- **गूगल** : मूल संदर्भ प्रदान करने के लिए वॉटरमार्किंग और मेटाडेटा सहित सिंथेटिक सामग्री की पहचान करने के लिए उपकरण प्रस्तुत किए है।
- इन प्रयासों के बावजूद, कमजोरियां बनी हुई हैं, जो डीपफेक प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में चल रही चुनौतियों को उजागर करती हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

क्लेड 1बी एम-पॉक्स

हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह यूएई से केरल पहुंचे एक युवक में देश का पहला क्लेड 1बी एम-पॉक्स मामला पाया गया।

क्लेड 1बी एम-पॉक्स के बारे में:

- क्लेड 1बी एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) वायरस का एक विशिष्ट आनुवंशिक रूप है, जो अपनी अनूठी जीनोमिक विशेषताओं के कारण अलग है।
- क्लेड 1बी में अन्य एमपॉक्स स्ट्रेन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, दाने और सूजे हुए लिम्फ नोड्स शामिल हैं, लेकिन यह अधिक गंभीरता के साथ प्रकट हो सकता है, जिससे अधिक गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं।
- क्लेड 1बी स्ट्रेन की मृत्यु दर लगभग 3% है, जो क्लेड 2बी स्ट्रेन से जुड़ी 0.2% मृत्यु दर से काफी अधिक है।
- अगस्त में, थाईलैंड ने क्लेड 1बी के अपने पहले मामले की सूचना दी, जिसमें एक 66 वर्षीय यूरोपीय व्यक्ति शामिल था, जो एक अनाम अफ्रीकी देश से यात्रा करके आया था।
- यह मामला स्वीडन में पाए जाने के बाद अफ्रीका के बाहर क्लेड 1बी के रिपोर्ट किए जाने का दूसरा मामला है।

एक पेड़ मां के नाम ऐप

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में 'एक पेड़ मां के नाम' ऐप लॉन्च किया।

एक पेड़ मां के नाम ऐप के बारे में:

- एक पेड़ मां के नाम ऐप एक अनूठा मंच है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने और उन्हें समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और जागरूकता को बढ़ावा मिलता है।
- ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में लगाए गए पेड़ों की छवियों को आसानी से अपलोड करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है।
- यह प्रत्येक समर्पित पेड़ का स्थान, अक्षांश, देशांतर और टाइमस्टैम्प रिकॉर्ड करता है।
- उपयोगकर्ता अपने द्वारा अर्जित कार्बन क्रेडिट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
- ऐप उपयोगकर्ताओं को निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए हर 30 दिन में पेड़ की वृद्धि की तस्वीरें अपलोड करने की अनुमति देता है।
- उपयोगकर्ताओं को जागरूकता फैलाने और दूसरों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड़ की तस्वीरें साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मीथेन

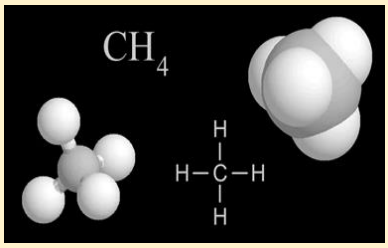

हाल ही में, पूर्वी ईरान के तबास में मदनजू कोयला खदान में मीथेन गैस के विस्फोट में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई।

मीथेन के बारे में:

- मीथेन (CH4), जिसे मार्श गैस या मिथाइल हाइड्राइड के रूप में भी जाना जाता है, एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है और यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है।
- यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को फँसाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी को फँसाने में 28 गुना अधिक प्रभावी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के सैकड़ों वर्षों की तुलना में इसका जीवनकाल लगभग 7 से 12 वर्ष है।
- यह प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है और भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनता है।
- मानवीय गतिविधियों के कारण 1750 के बाद से वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता में लगभग 160% की वृद्धि हुई है।
- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और मैक्सिको को मानवजनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग आधे के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

समाचार में स्थान

फिलिस्तीन

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गाजा मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की और शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की।

फिलिस्तीन (राजधानी: रामल्लाह)

स्थान: फिलिस्तीन, जिसे आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य के रूप में जाना जाता है, पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र में एक देश है।
सीमाएँ: फिलिस्तीन की सीमाएँ जॉर्डन (पूर्व), इज़राइल (पश्चिम और उत्तर) और मिस्र (दक्षिण-पश्चिम) के साथ लगती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- फिलिस्तीन का सबसे ऊँचा स्थान माउंट गेरिज़िम है, जो उत्तरी पश्चिमी तट में नब्लस शहर के पास स्थित है।
- फिलिस्तीन में प्रमुख बारहमासी नदियाँ नहीं हैं, केवल मौसमी धाराएँ और जॉर्डन नदी, वादी अल-फ़रा और वादी गाजा जैसी वादीयाँ ही बरसात के मौसम में जल प्रवाह प्रदान करती हैं।
- फिलिस्तीन में सीमित खनिज संसाधन हैं, जिनमें चूना पत्थर, मिट्टी, जिप्सम के कुछ भंडार और संभवतः प्राकृतिक गैस और तेल के छोटे भंडार हैं।
- फिलिस्तीन में आम तौर पर भूमध्यसागरीय जलवायु होती है।

सदस्यता: फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, और यह अरब लीग, जी77, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भूमध्यसागरीय संघ जैसे विभिन्न क्षेत्रीय निकायों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- परजीवी मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस किस प्रकार के जीव के कारण होता है? – **अमीबा**
- कूडियाट्टम नृत्य किस राज्य से है? – **केरल**
- गुकेश डोमराजू और हरिका द्रोणावल्ली किस खेल से संबंधित हैं? – **शतरंज**
- पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब है? – **4 अगस्त**
- भारत ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज VII आयोजित किया? – **ओमान**